	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13 2/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस अवसर चाहे पक्ष से दिनांक → 17/04/2025 को पत्रावली पेश हो।	
17 4/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 5/6/25 को पेश हो।	
5 6/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ छिट्टी/ V.C. पे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 24/7/25 को पेश हो।	
24 7/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक...18/9/25..... को पत्रावली पेश हो।	
18 9/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 29/09/2025 को पेश हो।	
29 9/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया की भूमि ख.स. 66/688 रकबा 0.8094 हैक्टेयर ग्राम आकोदा में स्थित है। भूमि रामदेव के नाम आवंटित हुई थी, जिस पर उनके द्वारा काबिज काश्त होने से वह स्वतः ही 5 साल में खातेदार कृषक बन गये थे। विवादित भूमि का खातेदार रामदेव द्वारा दिनांक - 15/12/20 को वसीयतनामा	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुकम का में जारी
	(अंतिम इच्छा पत्र) प्रार्थी के पक्ष मे कर दिया गया था। भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी का है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन जारी किया जावे। खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की आवंरी रामदेव की 4 पुत्रियाँ है, प्रार्थी द्वारा अंतिम इच्छा पत्र धोखे से करवाया है। वर्तमान में हमारा संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है। अधिकार घोषणा साक्ष्य उपरान्त तय होगी। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर आये है, जो श्रवण योग्य नही है। विवादित भूमिया हमारे नाम रिकॉर्ड मे दर्ज है। विवादित भूमिया आकोदा में स्थित है, जो कि वन विभाग से प्रतिबंधित है, वैसे भी स्थगन का भूमियों पर कोई औचित्य नही है। T. I. खारीज की जावे। खण्डन मे वकील प्रार्थी ने कथन किया की हमने नामान्तकरण को चुनौती दी हुई है। कब्जा हमारा चला आ रहा है, दौराने वाद दखलंदाजी नही करने से पाबन्द किया जावे। हमने बहस वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि खाता नम्बर 171 के ख.नं. 66/688 ग्राम आकोदा अप्रार्थीगण 1 to 4 के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा वसीयत नामा (इच्छापत्र) दिनांक - 15/12/20 अनरजिस्टर्ड पेश किया हुआ है, जो कि रामदेवा द्वारा प्रार्थी पृथ्वीराज के पक्ष में निष्पादित किया हुआ है।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नम्बर व तारीख अहकाम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	T.I. प्रकरण के निर्णय हेतु निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर विवेचन निम्न प्रकार है :-	
1.	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि खाता नं. 171 के ख.नं. 66/688 ग्राम आकोदा अप्रार्थी स. 1 ता 4 के नाम गैर खातेदार मे स्थित होने व प्रस्तुत वसीयतनामा (इच्छा पत्र) अपंजीकृत होने से प्रार्थी को विवादित भूमि पर हक/अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नहीं बनता है।	
2.	सुविधा संतुलन का सिद्धान्त :- मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे नहीं होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बनता है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- विवादित भूमि प्रार्थी के नाम अंकित नहीं होने से उसको कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।	
	उपरोक्त विवेचनानुसार तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष/हक में प्रमाणित नहीं होने से प्रा. पत्र प्रार्थी स्थगन बाबत खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	